//कार्यवाही विवरण//

भोपाल, दिनांक 21 / 09 /2020

क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैंच नई-दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर 681/2018 में दिनांक 08/10/2018 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश के नॉन अटेनमेन्ट सिटी (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास एवं सागर) तथा जबलपुर शहर जो कि 01 मिलियम प्लस सिटी होने के कारण जबलपुर शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु एक्शन प्लान का प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किये जाने हेतु बैठक का आयोजन दिनांक 14/09/2020 को प्रमुख सचिव (पर्यावरण) की अध्यक्षता में कक्ष क्रमांक-103 प्रथम तल न्यू विंग वल्लभ भवन, मंत्रालय में सम्पन्न हुई। उपस्थिति पत्रक संलग्नक है। उक्त बैठक में निम्नलिखित समिति के सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुये :-

1. श्री निकुंज श्रीवास्तव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
2. श्री राकेश कुशरे, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4. श्री संदीप भूरिया, डिप्टी कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट विभाग, भोपाल।
5. श्री आर.सी. गोयल, उप संचालक, कृषि संचालनालय, भोपाल।
6. श्री अमृत अधिकारी, उप संचालक, उद्योग संचालनालय, भोपाल ।
7. श्री पी.के. त्रिवेदी, डायरेक्टर, पर्यावरण, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
8. श्री जी. अम्बुलकर, मुख्य रसायनज्ञ, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
9. श्रीमति मयूरी श्रीरंग, कन्सलटेन्ट, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।

बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव महोद्य द्वारा भी प्रकरण क्रमांक 606/2018 में प्रदेश के नॉन अटेनमेन्ट शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास एवं सागर) की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु बनाये एक्शन प्लान की समीक्षा की जाती है। अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य को पूर्ण किया जाये। सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एनजीटी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सदस्यो को एक्शन प्लान पर की गई कार्यवाही व उद्ददेश्य की विस्तृत जानकारी से सदस्यो को अवगत कराया गया। बैठक में श्री पी.के. त्रिवेदी, डायरेक्टर (पर्यावरण) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा नॉन अटेनमेन्ट सिटी हेतु बनाये गये एकशन प्लान के संबंध में प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया व विशेष रूप से लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु स्मरण कराया गया। बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः-

1. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत् नॉन अटेनमेन्ट शहरों हेतु सीपीसीबी द्वारा ग्रान्ट उपलब्ध कराई गयी है जिसमें भोपाल एवं ग्वालियर शहर हेतु बोर्ड द्वारा भोपाल व ग्वालियर नगर पालिक निगम को 2019-20 में प्रथम चरण क्रमशः राशि रू. 3.88 व रू. 4.26 करोड़ आवंटित की गई है व सीपीसीबी द्वारा वांछित यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट व प्रस्ताव अप्राप्त होने से द्वितीय चरण राशि आवंटित नहीं की जा सकी अतः शीघ्र बोर्ड में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रेषित करने हेतु कहा गया व प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि रोड डस्ट हेतु यथोचित आधुनिक व प्रभावी उपाय किए जाये व सड़को के किनारे पर सघन वृक्षारोपण आधुनिक तकनीक वेब आधारित भी किया जाये व सागर व देवास सिटी में कम संख्या होने से प्राथमिकता से कार्यवाही की जाये। जिससे कि वर्षा ऋतु में पौधों की वृद्धि एवं सरवाईवल दर अधिक रहेगी।

(कार्यवाही आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

2. सी.एण्ड डी. वेस्ट के विधिवत निष्पादन हेतु इंदौर शहर हेतु स्थापित सी.एण्ड डी. प्लांट के अनुसार शीघ्र अन्य सिटी में कार्यवाही की जावें।

(कार्यवाही आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

3. उपायुक्त, परिवहन द्वारा अवगत कराया गया कि बी.एस.04 वाहनों का पंजीयन वर्तमान में बंद कर दिया गया है। बी.एस. 06 वाहनों के पंजीयन वर्तमान में किए जा रहे है। 15 वर्ष से अधिक डीजल चलित कामर्शियल वाहनों पर शीघ्र प्रतिबंध लगाये जाये। जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लायी जा सकती है।

(कार्यवाही आयुक्त, परिवहन)

4. वाहनों में पी.यू.सी. जांच संबंधी उपकरण पेट्रोल पम्प एवं सर्विस स्टेशन पर अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय लिया गया, पी.यू.सी. सेन्टर लगवाये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उनके क्षेत्र में होने वाली संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में जिला कलेक्टर, पेट्रोल/डीजल प्रदायकर्ता कम्पनी से कार्यवाही करने हेतु पहल करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी एक संयुक्त बैठक आर.टी.ओ. एवं ऑयल कम्पनी के साथ पूर्व बैठक दिनांक 13.12. 2019 में भी निर्देशित किया गया था परंतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई अब अविलम्ब पी.यू. सी. सेन्टर की स्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये, बैठक का कार्यवाही विवरण एक माह में प्रेषित करेंगे व सभी पी.यू.सी. सेन्टर को परिवहन विभाग द्वारा विकसित किये गये सर्वर सिस्टम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु भी प्रयास किये जाये, ताकि पी.यू.सी. की विश्वसनीयता बढ़ें।

   मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17/07/2020 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में पेट्रोल पम्पों पर पी.यू.सी. की स्थापना विशेष अभियान में की जाये व शासन स्तर से संबंधित को स्मरण कराया जाये व आगामी बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भी विशेष आमंत्रित में उपस्थिति सुनिश्चित की जावें।

   (कार्यवाही आयुक्त, परिवहन, समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, आर.टी.ओ., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व ऑयल कम्पनी)

5. ई-रिक्शा संचालन की संख्या स्थिति सागर एवं देवास शहर में संतोषजनक नहीं है। अतः संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी उनके क्षेत्र में होने वाली संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में पहल करेंगे व कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

   (कार्यवाही आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी व आर.टी.ओ.)

6. सड़कों की डस्ट नियंत्रण हेतु सफाई के दौरान आधुनिक तकनीकी उपयोग किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। जिससे मैन्युअल सफाई के दौरान भी डस्ट प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके। भोपाल में ए.क्यू.आई. में बढ़ोत्तरी होने वायु प्रदूषण व्याप्त होने की शिकायते मीडिया एवं बोर्ड को प्राप्त होती रहती है। तत्संबंध में नगरपालिक निगम, भोपाल डस्ट कंट्रोल की प्रभावी कार्य योजना तैयार कर शीघ्र कार्यवाही व धूल नियंत्रण हेतु बोर्ड द्वारा प्रदत्त राशि से भी प्रभावी नियंत्रण करें

(कार्यवाही आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल)

7. कृषि एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों को खुले में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। उक्त संबंध में नगर पालिक निगमों द्वारा 2020-21 में 31/09/2020 की अवधि तक दोषियों के विरूद्ध

की गई कार्यवाही व जुर्माना राशि की जानकारी शासन व बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही कृषि विभाग, संबंधित समस्त नगर पालिक निगम)

8. सभी क्षेत्रीय अधिकारी, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समय-समय पर गठित समीक्षा बैठक आहूत कर यथाशीघ्र कार्यवाही विवरण उपलब्ध करायें व एक्शन प्लान में उल्लेखित सभी कार्यो का कड़ाई से निर्धारित अवधि में परिपालन सुनिश्चित करें व निर्धारित प्रपत्र में प्रगति की जानकारी (माह-जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2020) आवश्यक रूप से बोर्ड को एक माह में उपलब्ध करायें, ताकि माननीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके।

(कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास एवं सागर)

9. मिलियन प्लस शहर जबलपुर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु बनाये गये संभागीय आयुक्त, जबलपुर की अध्यक्षता में गठित स्टेक होल्डर समिति द्वारा अग्रेषित किया गया जबलपुर सिटी एक्शन प्लान का प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष किया गया। सीपीसीबी द्वारा एक माह अर्थात दिनांक 09/08/2020 तक एक्शन प्लान वांछित किया था। अधिक विलम्ब न हो अतः संशोधन जिसमें मुख्य रूप से वाणिज्यक वाहनों का (15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन) संचालन प्रतिबंधित आदि का समावेश कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई-दिल्ली को बोर्ड द्वारा प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(राकेश कुशरे) 14/9/2020
उप सचिव
पर्यावरण विभाग

पृ.क्रं. 558/एफ 12-83/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 21/09/2020

<u>प्रतिलिपि :-</u>

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
5. आयुक्त, परिवहन विभाग, ग्वालियर।
6. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
7. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,, भोपाल।
8. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, भोपाल।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ ग्वालियर/ जबलपुर/ देवास एवं सागर की ओर सूचनार्थ एवं निर्देश हैं कि उपरोक्त उल्लेखित मुददे संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में उठाए जाये व एक्शन प्लान की समीक्षा समय-समय पर की जाकर प्रगति की जानकारी प्रतिमाह व परिपालन जानकारी शासन व बोर्ड मुख्यालय, भोपाल को बगैर स्मरण कराये प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
10. आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ ग्वालियर/ जबलपुर/ देवास व जबलपुर।
11. विधि अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल– 462 016 (म.प्र.)

Tel: 0755-2464428,2466191 Fax: 0755-2463742

प्रदेश की 06 नॉन अटेनमेन्ट सिटी (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, एवं देवास) के परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु बनायी गयी कार्य योजना के क्रियान्वयन की प्रगति हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 14/09/2020

उपस्थिति पत्रक

क्र.	नाम व पदनाम	संस्थान	ई–मेल / मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.				
2.	श्री निकुंज श्रीवास्तव	आयुक्त UADD	7827109681	[signature]
3.	आर. पी. गोयल उप संचालक	संचालनालय कृषि	94256-75923 dagjaivic@mp.gov.in	[signature]
4.	अनवीश अधिकारी उप संचालक	ऊर्जा संचालनालय	9424811993 jc-mo@nic.in	[signature]
5.	Sandeep Bhuria Dy. T.C	Transport Department	9910-998999 Sandeep.bhuria@gmail.com	[signature]
6.	Achyut Mishra MS	MP Pollution Control Board Bhopal	9993094441	[signature]
7.	Rakesh Kushre DS. ENV	Department of Environment		[signature]
8.	P.K. Trivedi Director (Environment)	MPPCB		[signature]
8	G. Ambulkar Chief Chemist	MPPCB	9827249088	[signature]
9.	Mayuri Shrirang	CPCB	8624900180	[signature]

New Letter